

**MOTION FOR ELECTION TO THE CENTRAL ADVISORY COMMITTEE
FOR THE NATIONAL CADET CORPS**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI JITENDRA SINGH) : Sir, I, on behalf of Shri A. K. Antony, move the following Motion:—

“That in pursuance of clause (i) of sub-section (1) read with sub-section (1A) of Section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (XXXI of 1948), this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one Member from amongst the Members of the House, to be a member of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps in the vacancy that will be arising therein *w.e.f.* December 9, 2012 due to the expiry of term of Shri Husain Dalwai in the said Committee.”

The question was put and the motion was adopted.

MOTION FOR ELECTION TO THE COFFEE BOARD

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI HARISH RAWAT) : Sir, I, on behalf of my colleague, Shri Anand Sharma, move the following Motion:—

“That in pursuance of clause (b) of sub-section (2) of Section 4 of the Coffee Act, 1942 (VII of 1942), read with sub-rule (1) of Rule 4 of the Coffee Rules, 1955, this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one Member from amongst the Members of the House, to be a member of the Coffee Board.”

The question was put and the motion was adopted.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

**Demand for fixing Pension liability on the basis of Population
ratio in Jharkhand**

श्री संजीव कुमार (झारखंड) : सर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का और सरकार का ध्यान झारखंड राज्य के साथ होने वाले सौतेले व्यवहार की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : सर, कृपया पहले रवि शंकर प्रसाद जी को बोलने की अनुमति दीजिए।
...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : उन्हें समय मिलेगा। आप लोग बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : यह बहुत सीरियस मामला है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Nareshji, I understood your point. आप लोग बैठिए।
...(व्यवधान)... I have no difficulty. His name is already in the list, and, if the House wants to call him first, I am also happy to call him first. He is the Deputy Leader. I have no problem. Shri Ravi Shankar Prasad, after he finishes his speech, you can speak.

श्री संजीव कुमार : महोदय, 25.09.2012 को केन्द्र सरकार ने झारखंड सरकार को एक पत्र लिखकर निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द बिहार सरकार को 2564 करोड़ रुपए बिहार स्टेट रीऑर्गनाइजेशन ऐक्ट, 2000 के तहत पेंशन ड्यूज़ के रूप में अदा करे। महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि यह पैसा देने की बात क्यों आयी। 15 नवम्बर, 2000 को भारतीय संसद में तीन बिल पास हुए—बिहार रीऑर्गनाइजेशन ऐक्ट 2000, जिससे झारखंड राज्य का गठन हुआ; उत्तर प्रदेश रीऑर्गनाइजेशन ऐक्ट 2000, जिससे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और मध्य प्रदेश रीऑर्गनाइजेशन ऐक्ट 2000, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। जहां तक छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की बात है, **pension liability** डिसाइड करने के लिए पापुलेशन को आधार बनाया गया, लेकिन झारखंड स्टेट के मामले में नम्बर ऑफ इम्प्लॉइज़ को रेश्यो बनाया गया, जिसकी वजह से झारखंड सरकार को 2564 करोड़ रुपए बिहार को देने पड़ रहे हैं। महोदय, 1956 से लेकर आज तक जितने भी नए राज्य बने हैं, हमेशा पापुलेशन को **pension liability** फिक्स करने का आधार बनाया गया है, लेकिन सिर्फ झारखंड के केस में यह अन्याय हुआ है कि नम्बर ऑफ इम्प्लॉइज़ को **pension liability** फिक्स करने के लिए आधार बनाया गया है। मैं केन्द्र सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि 1956 से लेकर आज जितने भी नए राज्य बने हैं, उनमें से सिर्फ झारखंड के केस में ही पापुलेशन को नहीं, बल्कि नम्बर ऑफ इम्प्लॉइज़ को **pension liability** फिक्स करने के लिए आधार क्यों बनाया गया? महोदय, 1956 से लेकर आज तक सिर्फ पापुलेशन रेश्यो को ही आधार बनाया गया है। कहा जाता है कि झारखंड में बहुत कोयला है और अनेक खनिज भंडार हैं, यह बिल्कुल सही बात है। झारखंड राज्य 32 प्रतिशत कोयले को भंडार केन्द्र सरकार को देता है, 25 प्रतिशत तांबा वह केन्द्र सरकार को देता है।

श्री उपसभापति : आपके बोलने का टाइम खत्म हो गया।

श्री संजीव कुमार : सर, मैं यह मांग करता हूँ कि पापुलेशन रेश्यो के आधार पर सरकार पेंशन **liability** का पेमेंट करे।

श्री उपसभापति : ठीक है।

श्री संजीव कुमार : मेरी मांग है कि सरकार इसको अमेंड करे।

श्री उपसभापति : आप बैठ जाइए। श्री रवि शंकर प्रसाद।